सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-175/2021 दिनांक- 06-अप्रैल-2021

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- जीयनपुर

गैंगेस्टर एक्ट में दो गिरफ्तार, दोनो के ऊपर दर्जनों मुकदमें दर्ज।

प्रभारी निरीक्षक हिमेन्द्र सिंह द्वारा एक किता तहरीर हिन्दी लिखित टाइप शुदा दस्तखती खुद मय अनुमोदित शुदा गैंग चार्ट एक वर्क श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ बावत गैंग लीडर अभियुक्त संजय कुमार पुत्र स्व0 मद्धू निवासी चकशाह दानियाल ग्राम सभा देवापार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ एक शातिर अपराधी है इसका नाजायज संगठित गिरोह होने एंव इसके गिरोह के सक्रिय सदस्य 1. बादल पुत्र अंगद 2.संगद पुत्र स्व0 मद्धू 3.अंगद पुत्र स्व0 मद्धू निवासी गण चकशाह दानियाल ग्राम सभा देवापार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ है। गैंग लीडर संजय उपरोक्त अपने गैंग के सदस्यो के साथ आर्थिक , भौतिक एंव दुनियावी लाभ के लिए भा0द0वि0 के अध्याय 16 ,17 एवं 22 मे वर्णित अपराधों को कारित करने के अभ्यस्थ अपराधी है , के आशय का अनुमोदित शुदा गैंग चार्ट मय तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 110/21 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एंव समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 बनाम 1. बादल पुत्र अंगद 2.संगद पुत्र स्व0 मद्धू 3.अंगद पुत्र स्व0 मद्धू निवासी गण चकशाह दानियाल ग्राम सभा देवापार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया

दिनांक- 06.04.2021 को प्रभारी निरीक्षक जीयनपुर श्री हिमेन्द्र सिंह मय राह वरि0उ0नि0 केशर यादव ,का0 सन्तोष कुमार, का0 अंकुर सिंह,का0 अंकित सिंह , का0 शैलेन्द्र ,म0आ0 शालिनी सिंह,म0आ0 शिवानी सिंह द्वारा मु0अ0सं0 110/2021 धारा 3(1)उ0प्र0 गै0एक्ट मे वांछित अभियुक्तगण 1.संजय कुमार 2.अगंद 3.संगद पुत्रगण स्व0 मद्धू 4.बादल पुत्र अंगद निवासीगण उपरोक्त की तलाश/गिरफ्तारी हेतु मगरुगंज बाजार मे मामूर था कि जरिये मुखविर खास सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण संजय कुमार व अंगद उपरोक्त चुनहवाँ चौराहे पर खडे और कही भागने की फिराक मे है इस सूचना पर विश्वास करके प्रभारी निरीक्षक व वरि0उ0नि0 केशर यादव मय राह कर्म0गण मय जीप सरकारी के मय मुखबिर के मंगरुगंज बाजार से प्रस्थान कर चुनहवाँ चौराहे से थोड़ा पहले पहुँचकर गाड़ी को खड़ा किया जहाँ पर मुखबिर खास द्वारा इशारे से चौराहे के पास स्थित गुमटी के बगल मे शंकर जी के मूर्ति के पास खडे दोनो व्यक्ति को दिखाकर की यही वह अभियुक्तगण है। हटबढ़ गया कि पुलिस वालो द्वारा सिखलाये हुये तरीको से एक बारगी घेरकर उक्त व्यक्तियो को पकड लिया गया पकडे गये व्यक्तियो से बारी बारी नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम संजय कुमार पुत्र स्व0 मद्धू उम्र 30 वर्ष दूसरे ने अंगद पुत्र स्व0 मद्धू उम्र 43 वर्ष निवासी गण चकशाह दानियाल ग्राम सभा देवापार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ बताया । गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण-अंगद व संजय पुत्रगण स्व0 मद्धू निवासीगण चक शाहदानियाल थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ बदरियाफ्त पूछताछ पर अपनी गलती की बार बार माफी मांगते हुए अपनी सफाई अपने अधिवक्ता के माध्यम से मा0न्यायालय में देना बता रहा है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 110/2021 धारा 3(1)उ0प्र0 गै0एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

अपराधिकइतिहास अंगद पुत्र मद्धू शोखा नि0 चकशाहदानियाल थाना जीयनपुर आजमगढ़			
क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना
1	123/2002	498A/304B IPC व 3/4 DP ACT	जीयनपुर
2	049/2008	323/324/352/354/452/504/506 IPC	जीयनपुर
3	063/2011	147/148/323/352/392/504/506 IPC	जीयनपुर
4	071/2011	147/323/392/427/429/452/504/506 IPC	जीयनपुर
5	348/2011	147/294/337/394/504/506 IPC	जीयनपुर
6	135/2012	323/325/427/452/504/506 IPC	जीयनपुर
7	425/2020	332/353/504/506 IPC व 7 CLA ACT व 138 विद्युत अधि0	जीयनपुर

अपराधिक इतिहास संजय पुत्र मद्धू सोखा नि0 चकशाह दानियाल थानाजीयनपुर आजमगढ़			
क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना
1	123/2002	498A/304B IPC व 3/4 DP ACT	जीयनपुर
2	049/2008	323/324/352/354/452/504/506 IPC	जीयनपुर
3	063/2011	147/148/323/352/392/504/506 IPC	जीयनपुर
4	071/2011	147/323/392/427/429/452/504/506 IPC	जीयनपुर
5	348/2011	147/294/337/394/504/506 IPC	जीयनपुर
6	426/2020	135 विद्युत अधि0	जीयनपुर

7	427/2020	186/382/336/504/506/352 IPC व 7 CLA ACT	जीयनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. संजय कुमार पुत्र स्व0 मद्धू उम्र 30 वर्ष
2. अंगद पुत्र स्व0 मद्धू उम्र 43 वर्ष निवासी गण चकशाह दानियाल ग्राम सभा देवापार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- SHO हिमेन्द्र सिंह मय राह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

2- वरि0उ0नि0 केशर यादव मय राह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

थाना-फूलपुर

अवैध कट्टा व कारतूस के साथ एक गिरफ्तार

दिनांक 5/4/2021 को व0उ0नि0 सुशील कुमार दूबे मय राह हे0का0 फूलचन्द यादव व का0 त्रिलोकीनाथ पाण्डेय के थाना हाजा से प्रस्थान कर देखभाल क्षेत्र खुरासो मोड़ तिराहा पर मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि एक व्यक्ति माहुल रोड से शहजेरपुर पुलिया पर मौजूद है जिसके पास अवैध असलहा है कहीं जाने की फिराक मे है यदि शीघ्रता किया जाय तो पकड़ा जा सकता है इस सूचना पर विश्वास करके व0उप0 निरी0 मय राह कर्म0गणों के मय मुखबिर को साथ लेकर मौके से रवाना होकर शाहजेरपुर पुलिया के पहले ही था कि मुखबिर ने इशारा करके हट बढ़ लिया कि पुलिया पर खड़ा व्यक्ति पुलिस वालों को देखखर पीछे मुड़कर माहुल की तरफ जाने लगा कि लोग एक बारगी दबिश देकर करीब पुलिया से 50 कदम की दूरी पर समय 17.10 बजे पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो अपना नाम 1. अनोज कुमार पुत्रराजेन्द्र प्रसाद सा0छितौनी थाना जलालपुर अम्बेडकरनगर बताया । अभि0 से बरामद कट्टा व कारतूस को रखने का लाइसेन्स तलब किया गया तो गल्ती की माँफी माँगते हुए लाइसेन्स दिखाने से कासिर रहा अभि0 का यह कार्य अन्तर्गत धारा 3/25 A Act का दण्डनीय अपराध पाकर कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत पुलिस मे लिया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी का विवरण- मुकदमा बाला में व0उ0नि0 सुशील कुमार दूबे मय राह द्वारा बरामशुदा कट्टा व कारतूस व पकडे गये व्यक्ति अनोज कुमार पुत्रराजेन्द्र प्रसाद सा0छितौनी थाना जलालपुर अम्बेडकरनगर को मुकदमा बाला में आज दिनांक 06.04.21 को माननीय न्यायालय चालान किया गया।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त पूछताछ में अपने जुर्म स्वीकार करते हुए बताया सा हब अपनी सुरक्षा हेतु कट्टा व कार0 अपने पास रखा था मेरी उम्र 19 वर्ष है।

सम्बन्धित मुकदमा -मु0अ0सं0 51/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.अनोज कुमार पुत्रराजेन्द्र प्रसाद सा0छितौनी थाना जलालपुर अम्बेडकरनगर उम्र 19 वर्ष

बरामदगी- एक अदद कट्टा व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली टीम-

1.व0उ0नि0 सुसील कुमार दूबे मय राह थाना-फूलपुर, आजमगढ़ ।

थाना-बिलरियागंज

अवैध 315 देशी शीशी शराब के साथ एक गिरफ्तार

दिनांक 05.04.2021 को थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार सिंह मय राह व उ0नि0 ओम प्रकाश यादव मय राह द्वारा देखभाल क्षेत्र जांच भ्रमण अगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भ्रमणशील होकर जैगहा बाजार में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की ग्राम प्रधान श्रीनगर सियरहा के घर में मतदाताओ को बांटने के लिए देशी शराब काफी मात्रा में रखे हैं यदि जल्दी किया जाय तो मिल सकता हैं। इस सूचना पर विश्वास करकेथानाध्यक्ष मय फोर्स मय मुखबिर खास के जैगहा से प्रस्थान कर ग्राम श्रीनगर सियरहा वर्तमान ग्राम प्रधान के घर पर पहुंचे कि मुखबिर ने इशारा करके बताया कि साहब यह वही घर हैं जिसके अन्दर देशी शराब भारी मात्रा में रखी गयी हैं और मुखबिर हट बढ़ गया। थानाध्यक्ष मय फोर्सएक वारगी ग्राम प्रधान के घर को चारो तरफ से घेरकर दरवाजे के गेट पर खड़े होकर आवाज लगाया गया तो दो व्यक्ति पीछे के दरवाजे से भागने लगे । पुलिस फोर्स द्वारा एक बारगी घेरमार कर एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया तथा एक व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम अंकुर यादव पुत्र रमेश यादव ग्राम श्रीनगर सियरहा थाना बिलरियागंज , जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष बताया तथा भागने वाले का नाम राजेश यादव पुत्र कल्पू यादव ग्राम प्रधान श्रीनगर सियरहा थाना बिलरियागंज , जनपद आजमगढ बताया। मौके पर ही अलग से खाना तलाशी तैयार करके घर की तलाशी ली गयी तो घर के अन्दर एक कमरे में 7 पेशी देशी शराब की रखी हुई हैं , जिसको खोलकर देखने से सभी पेटियों में 45 -45 शीशी देशी शराब ठेके वाली बन्टी बबली प्रत्येक की मात्रा 200 मिली कुल 315 शीशी (63 लीटर) जिस पर देशी शराब तनू सादा अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य रूपये 50.000 उत्पादक इंडिया ग्लाइकाल्स लि0 (डिस्टलरी डिवीजन) ई-1, सेक्टर 15, गीडा, गोरखपुर-273209 (उ0प्र) तीव्रता 25% वी.वी. अंकित हैं। शराब रखने का लाइसेंस

मांगा गया तो दिखाने में असमर्थ रहा अपने गलती की माफी मांगते हुए बता रहा है कि साहब जब आप पकड़ ही लिये हैं तो आपसे क्या छिपाना हैं। यह शराब ग्राम प्रधानी के चुनाव में वोटरो को लुभाने के लिए बांटा जायेगा। अभियुक्त गण का यह कार्य अन्तर्गत धारा 60 EX ACT व 171एच भादवि का दण्डनीय अपराध पाकर बताकर समय करीब 07.15 बजे सांय पुलिस हिरासत में लेकर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

<u>पूछताछ विवरणः</u>- अभियुक्त द्वारा शराब ग्राम प्रधानी के चुनाव में वोटरो को लुभाने के लिए बांटे जाने की बात बता रहा है और अपनी गलती की माँफी मांग रहा है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता</u> -

- अंकुर यादव पुत्र रमेश यादव ग्राम श्रीनगर सियरहा थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

<u>बरामदगी-</u>

- 7 पेटी में 315 शीशी (63 लीटर) देशी शराब सादा बन्टी बबली।

<u>घटनास्थल-</u>

- मकान अभियुक्त श्रीनगर सियरहा।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-</u>

1-थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
2-उ0नि0 ओमप्रकाश यादवप्रथम थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
3- हे0का0 उपेन्द्र कुमार यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
4-का0 प्रमोद थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
5- का0 अरविन्द कुमार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
6- का0 रविशंकर उपाध्याय थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
7- म0का0 शालिनी देवी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना- अहरौला

हत्या का प्रयास करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 31.01.2020 को श्री सिद्धू निषाद s/0 बल्ली निषाद ग्राम बनहर मय चक गजड़ी का थाना अहरौला ने तहरीर दिया कि जनपद आजमगढ में देशी (लायसेन्सी) शराब की दुकान बनहर मय चक गजड़ी का सेल्सन हुँ। दिनांक 30/1/2020 को समय करीब 5 बजे शाम को (1) झिनकु s/o सतिराम (2) अजय निषाद s/o चुन्नी (3) सुग्रीव s/o रणधीर (4) अमर s/o टिल्ठू निषाद निवासीगण बनहर मय चक गजड़ी थाना अहरौला जि0 आजमगढ एक साथ देशी शराब की दुकान पर आए और फ्री मे शराब मागँने लगे।मेरे द्वारा ना देने पर गाली गलौज देते हुए ईंट पत्थर चलाते हुए दरवाजे के पास आ गये मैं अपनी दुकान का दरवाजा बन्द करने लगा तो झिनकु s/o सतिराम ने नाजायज कट्टा लिया था और जान से मारने की नीयत से मेरे ऊपर फायर कर दिया किसी तरह दीवार की आड़ लेकर बाल बाल बच गया इसकी सूचना डायल 112 व थाना को दिया तब वह चारो व्यक्ति कट्टा लहराते हुए भाग गये। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0006/2020 धारा 307/504 भादवि पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 प्रभात चन्द्र पाठक द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत वांछित/वारण्टी/चोर आदि के गिरफ्तारी के सम्बन्ध मे चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे थानाध्यक्ष थाना अहरौला के कुशल निर्देशन में उ0नि0 श्री प्रभात चन्द्र पाठक मय राहियान द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अजय निषाद पुत्र चुन्नीलाल निवासी ग्राम बनहर मय चक गजड़ी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को मुखबिर की सूचना पर उसके घर से समय करीब 09.55 बजे गिरफ्तार कर अग्रेतर विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारी का स्थान – अभियुक्त का घर बनहर मय चक गजड़ी गिरफ्तारी का समय 09.55 बजे दिनांक 06.04.2021
पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त अपने जुर्म से इनकार करते हुए सफाई अपने वकील के माध्यम से मा0न्यायालय के समक्ष देना बता रहा है।

पंजीकृत अभियोग-
1- मु0अ0सं0 0006/2020 धारा 307/504 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ
गिरफ्तार अभियुक्त –
1- अजय निषाद पुत्र चुन्नीलाल निवासी ग्राम बनहर मय चक गजड़ी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
1- उ0नि0 प्रभात चन्द्र पाठक मय राह थाना- अहरौला, आजमगढ़ ।

थाना तरवाँ

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार, चोरी, हत्या के प्रयास व गैगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित आधा दर्जन से अधिक मुकदमें दर्ज।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान ,वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक नगर जनपद आजमगढ़ श्री पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री मनोज कुमार रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक तरवां स्वतंत्र कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना तरवां पर अलग-अलग टीम गठित कर अपराध/अपराधियों की धड़ पकड़ करने हेतु लगातार भ्रमणशील रहकर संदिग्ध व्यक्तियों /वाहनो की चेकिंग की जा रही थी कि मुखबिर की सूचना पर उ0नि0 ओमप्रकाश नरायण सिंह चौकी इंचार्ज बोंगरिया द्वारा अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमन्चा देशी 315 बोर मय दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 49/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट घटनास्थल बहदग्राम रस्तीपुर लुनी नदी पुल बफासला करीब 18 किमी पूर्वोत्तर बमुद्वैयत उ0नि0 ओमप्रकाश नारायण सिंह बनाम सागर चौहान पुत्र रामसूरत चौहान ग्राम जुवां थाना तरवां जनपद आजमगढ़ के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

दिनांक 06.04.2021 को उ0नि0 ओम प्रकाश नारायण सिंह प्रभारी चौकी बोंगरिया मय राह हे0का0 बृजेन्द्र सिंह व का0 ताराचन्द साहनी के बिनावर गस्त व देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जरायम में मामूर होकर ग्राम रस्तीपुर में मौजूद थे कि सूचना मिली की ग्राम गतवां से कुछ लोग आगामी पंचायत चुनाव के कारण अपने प्रत्याशी के समर्थन में मोटर साइकिल का जुलूस निकालकर रस्तीपुर की ओर आने वाले है। उनके इस कृत्य से जहां आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उलघंन हो रहा है वही शांति व्यवस्था प्रभावित होने की प्रबल सम्भावना भी है , जिनको सरेदस्त रोका जाना अतिआवश्यक है सूचना पर विश्वास करके उ0नि0 मय राहियान के रवाना होकर तत्कालिक कार्यवाही हेतु ग्राम गतवां की ओर जा रहा था जैसे ही लोग रस्तीपुर व गतवां के मध्य लोनी नदी पर बने पुल पर पहुचें कि पुल पर बैठा व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में उठकर जाने लगा जिसे बदमाश होने की शंका पर टोका व रूकने को कहां गया तो नही रूका बल्कि भागने का प्रयास करने लगा कि पुलिस वालों ने एगबारगी दौड़ कर घेरकर आवश्यक बल प्रयोग करके इस व्यक्ति को रोक लिया नाम पता पूछते हुए जामातालाशी ली गयी तो इसने अपना नाम सागर चौहान उम्र 35 वर्ष पुत्र स्व. रामसूरत चौहान ग्राम जुवां थाना तरवां जनपद आजमगढ़ बताया जिसकी जामातलाशी से पहने हुए लोवर व उसके नीचे दो अदद अण्डरवियर की फेट में खुसा हुआ एक अदद तमंचा देशी 315 बोर जिसकी नाल लोहा करीब 07 अंगुल , बाडी करीब 04 अंगुल जिसपर नाल को खोलने व बन्द करने के लिए स्प्रिंगदार खटका , ट्रेगर, ट्रेगर गार्ड व हैमर लगा हुआ , बट करीब 04 अंगुल जिसपर दोनों तरफ सिल्वर कलर की पत्ती जो कील से जड़ी हुई चालू हालत में तथा लोवर की बायी जेब से दो अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर जिनके पेंदे पर अंग्रेजी में KF 8MM लिखा हुआ बरामद हुआ। अभियुक्त से तमंचा व कारतूस रखने का लाइसेन्स तलब किया गया तो दिखाने से कासिर रहा माफी मांगने लगा कि अभियुक्त को जुर्म धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम का बताकर समय करीब 08.30AM पर कारण गिरफ्तारी बताकर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायायलय किया गया।

पंजीकृत अभियोग -

1- मु0अ0सं0 49/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1 सागर चौहान पुत्र रामसूरत चौहान ग्राम जुवां थाना तरवां जनपद आजमगढ़

बरामदगी - एक अदद तमन्चा देशी 315 बोर मय दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

अपराधिक इतिहास -

क्र0स0	मु0अ0स0	धारा	थाना	जनपदका नाम
1	19/16	41/411 भा0द0वि0	तरवाँ	आजमगढ़
2	232/16	379 भा0द0वि0	कोतवाली	गाजीपुर
3	120/16	392 भा0द0वि0	जहानागंज	आजमगढ़
4	149/16	3/25 आर्म्स एक्ट	जहानागंज	आजमगढ़
5	297/16	3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट	जहानागंज	आजमगढ़
6	115/16	41/411/467/468/471भा0द0वि0	तरवाँ	आजमगढ़
7	26/15	392 भा0द0वि0	कोहडोर	प्रतापगढ़
8	138/19	307 भा0द0वि व 3/25 आर्म्स एक्ट	तरवां	आजमगढ़
9	49/2021	3/25 आर्म्स एक्ट	तरवां	आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम – 1. उ0नि0 ओमप्रकाश नरायण सिंह मय हमराह थाना-तरवां, आजमगढ़।

थाना तरवाँ,

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ श्री सुधीर कुमार सिंह (IPS) द्वारा चलाये जा रहे अभियान ,वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक नगर जनपद आजमगढ़ श्री पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री मनोज कुमार रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में मुझ प्रभारी निरीक्षक तरवां स्वतंत्र कुमार सिंह द्वारा अलग-अलग टीम गठित कर अपराध/अपराधियों की धड़ पकड़ करने हेतु लगातार भ्रमणशील रहकर संदिग्ध व्यक्तियों /वाहनो की चेकिंग की जा रही थी कि मुखबिर की सूचना पर मुझ प्रभारी निरीक्षक द्वारा मु0अ0स0 48/2021 धारा 498 A/304B/3/4 DP ACT थाना तरवां आजमगढ़ के वांछित अभियुक्त रितेश यादव पुत्र शिव यादव व अभियुक्ता श्रीमती फूलमती देवी पत्नी शिव यादव निवासीगण ग्राम भीटी थाना तरवां जनपद आजमगढ़ को बेलहाडीह तिराहे से समय करीब 12.40 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण - प्रभारी निरीक्षक स्वतन्त्र कुमार सिंह मय राह का0 सूर्यप्रकाश सिंह A.K.47 मय कार0 व का0 सुनील पाल एक अदद 12 बोर पम्प एक्शन गन व म0का0 प्रीती सिंह मय सरकारी बोलेरो UP50AG0360 मय चालक सतेन्द्र कुमार के साथ रवाना होकर थाना हाजा से प्रस्थान कर बिनावर देखभाल क्षेत्र पेन्डिग विवेचना जाँच प्रार्थना पत्र व त्रिस्तरिय पंचायत चुनाव की शान्ति व्यवस्था मे व वाछिन्त अभियुक्तो की तलाशा मे खरिहानी बाजार मे मौजूद था की तभी मुखबिर खास आकर बताया की साहब आप के थाने पर पंजीकृत मु0अ0स0 48/2021 धारा 498 A/304B/3/4 DP ACT से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट से नामजद वाछिंत अभियुक्त श्रीमती फूलमती देवी पत्नी शिव यादव व रितेश यादव पुत्र शिव यादव सा0 भीटी थाना तरवां आजमग़ढ़ इस समय बेलहाडीह तिराहे पर खडे है तथा किसी वाहन का इन्तजार कर रहे है अगर जन्दी करेंगे तो पकडे जा सकते है की मुखबीर खास की बातो पर विश्वास करके मुखबीर को साथ लेकर प्रभारी निरीक्षक मय राही मय सरकारी वाहन मय चालक के साथ खरिहानी से प्रस्थान कर बेलहाडीह पुहचा तथा बेलहाडीह पहुच कर बेलहाडीह तिराहे से 20 कदम पहले मुखबिर खास गाडी रूकवाया तथा तिराहे पर खडे एक महिला व पुरूष के तरफ इशारा कर के भलाई बुराई के डर से वहा स हट बढ़ गया तभी पुलिस की गाडी रूकता देख खडा व्यक्ति व महिला भागने का प्रयास किये की म0का0 व राही कर्म0गण की मदद से 10-20 कदम जाते जाते घेरकर पकड लिया गया पकडे गये म0व पुरूष का नाम पुछा गया तो महिला ने अपना नाम फूलमती पत्नी शिव यादव व पुरूष ने अपना नाम रितेश यादव पुत्र शिव यादव निवासी गण ग्राम भीटी थाना तरवां आजमगढ़ बताये जो मु0अ0स0 48/2021धारा 498 A/304B/3/4 DP ACT थाना तरवां आजमगढ़ मे वांछित अभियुक्त व अभियुक्ता है को कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 12.40 बजे अभियुक्त व महिला अभियुक्त उपरोक्त को वाजाप्ता हिरासत पुलिस मे लिया गया गिरफ्तारी के समय दिन का समय होने के कारण जनता के काफी लोग इक्ट्ठा हो गये जिनसे गिरफ्तारी मेमो पर साक्षी बनने के लिये कहा गया तो वहा मौजूद सभी लोगो अपना नाम पता बताये बिना हट बढ़ गये तब छक हारकर मेमो पर राह कर्म0गण का हसल्ताक्षर बनवाये गये गिरफ्तारी के समय मा0 उच्चतम न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया तथा गिरफ्तारी की सूचना मौके पर पहुच गये ग्राम प्रधान भीटी लालजी मौर्या को दिया गया। **गिरफ्तारी का स्थान** – बेलहाडीह तिराही थाना तरवां जनपद आजमगढ़

पूछताछ का विवरण – अभियुक्त पूछताछ पर अपना जुर्म स्वीकार किया।

पंजीकृत अभियोग - मु0अ0स0 48/2021धारा 498A/304B/3/4 DP ACT थाना तरवां आजमगढ़
गिरफ्तार अभियुक्त – 1. रितेश यादव पुत्र शिव यादव 2. श्रीमती फूलमती देवी पत्नी शिव यादव निवासीगण ग्राम भीटी थाना तरवां जनपद आजमगढ़
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम – **1.**प्रभारी निरीक्षक तरवां मय हमराह थाना- तरवां, आजमगढ़।

<u>थाना सिधारी</u>

अवैध देशी शराब के साथ एक गिरफ्तार

दिनांक 06.04.2021 को उपनिरीक्षक वंशराज सिंह मय राह हे0का0 सत्येन्द्र सिंह , कोबरा 13 HC संजय शर्मा , का0 अजय कुमार गुप्ता के साथ क्षेत्र में विवेचना पेन्डिग एहकामात एवं संदिग्ध व्यक्तियो की चेंकिंग में नरौली में भ्रमणशील थे कि जरिए मुखबिर सूचना मिली एक व्यक्ति ओवरब्रिज बेलइसा के नीचे लीला स्वीट हाउस के सामने खड़ा है और अपने दाहिने हाथ में एक सफेद गैलन लिया है जिसमें देशी नाजायज शराब लिए हुए है मुखबिर की सूचना पर न पुत्र बिरजु सा0 पल्हनी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को समय 9.50 बजे 10 ली0 अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
पूछताछ का विवरण –अभियुक्त न पुत्र बिरजु सा0 पल्हनी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ पुछताछ पर बताया गया कि साहब गलती हो गयी। माफ कर दीजिए गरीब आदमी हुँ इसी को बेचकर परिवार का जीवकोपार्जन करता हूँ।

<u>थाना-देवगांव</u>

<u>03 वारण्टी गिरफ्तार</u>

दिनाँक 06.04.2021 को प्रभारी निरीक्षक देवगांव के नेतृत्व में अपराध एव अपराधियो/वारण्टियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में मुखबिर से सूचना मिली कि (1)वाद सख्या 18/2019 से सम्बन्धित वारण्टी भाईलाल पुत्र रामदास सोनकर नि0 जोगापट्टी थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ (2) वाद सख्या 3679/19 से सम्बन्धित वारण्टी हंसू राम पुत्र तुलसी राम नि0 बनारपुर

थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ (3) वाद सख्या 06044/2005 से सम्बन्धित विज्जन पुत्र ऐबर नि0 देवनाथपुर थाना देवगाँव जनपद आजगमढ़ अपने घर पर मौजूद है अगर जल्दी किया जाय तो पकडे जा सकते है। इस सूचना पर उ0नि0 विजय प्रकाश मौर्य ,उ0नि0 अभिषेक सिंह मय राह के साथ वारण्टी उपरोक्त के घर पहुचा तो वारण्टी उपरोक्त अपने घर पर मौजूद मिले वारण्टी भाईलाल को समय 09.35 बजे व हंसू राम समय 11.15 बजे व विज्जन को समय 11.40 बजे कारण गिरफ्तारी बता कर पुलिस हिरासत मे लिया गया। गिरफ्तार शुदा वारण्टीगणो के विरुद्ध विधिक कार्यवाही किया जा रहा है । मौके पर शान्ति व्यवस्था कायम है।